सं0 27/05/2014–एस0आर0एस0
भारत सरकार
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

तीसरा तल, लोकनायक भवन
खान मार्किट, नई दिल्ली ।
दिनांक, 05.11.2014

10 NOV 2014

सेवा में,

मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन
सचिवालय, लखनउ, उत्तर प्रदेश ।

मुख्य सचिव
उत्तराखंड शासन
सचिवालय, देहरादून
उत्तराखंड।

विषयः– माननीय उच्च न्यायालय, उत्तरप्रदेश, लखनउ बेंच में दायर रिट याचिका संख्या 5377 (एस0/एस0) द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6 नम्बर 2012 के अनुपालन में दिनांक 18–07–2014 को आयोजित परामर्शीय समिति की बैठक में श्री कैलाशचंद्र जोशी, सहायक बाइंडर, (वर्तमान में बाइंडर), का उत्तरप्रदेश राज्य आवंटन के अनुशंशा पर विचार।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री, कैलाशचंद्र जोशी, सहायक बाइंडर, का माननीय उच्च न्यायालय, उत्तरप्रदेश, लखनउ बेंच खदायर रिट याचिका संख्या 5377 (एस0)/(एस0), द्वारा पारित निर्णय दिनांक 6 नम्बर 2012 के अनुपालन में उत्तरप्रदेश राज्य पुनरावंटन हेतु परामर्शी समिति के आयोजित बैठक दिनांक 18–07–2014 में विचार किया गया । समिति को अवगत करवाया गया कि माननीय उच्च न्यायालय, उत्तरप्रदेश, लखनउ बेंच में दायर रिट याचिका संख्या 5377 (एस0)/(एस0) के संबंध में कैलाशचंद्र जोशी, सहायक बाइंडर, जो बाईपोलर अफफेक्टिव डिसऑर्डर से ग्रसित है के संबंध में दिनांक 6–11–2012 को निम्न प्रभावी आदेश पारित किया था:

> "*In this view of the matter, the writ petition is allowed. The impugned order dated 27.11.2012 as contained in Annexure-1 to the writ petition is hereby quashed with direction that opposite party no.5 shall send all the relevant documents including petitioner's medical certificate issued by the State Medical Board within a period of 15 days. Therefore, opposite party No. 1 shall take decision in accordance with law reconsidering the representation of petitioner and pass appropriate orders expeditiously, say, within a period of six Weeks's from the date of receipt of certified copy of the order alongwith copy of the representation.*
>
> *The petitioner is directed to serve the certified copy of the order on opposite party No. 5 within seven days from today and also inform the other opposite parties of the court's order. Till the final decision is taken by the opposite parties petitionershall be allowed to continue in the State of Uttar Pradesh on the post on which he is/was working.*"

2० उपरोक्त आदेश के अनुपालन में समिति को यह सूचित किया गया कि मेडिकल बोर्ड ने इस संबंध में निम्नलिखित अनुशंशा की है:

"That the petitioner is suffering with Bipolar Affective Disorder currently Highpromenia. His ideas score is 8 (eight). He is required to undergo treatment with regular checkup throughout life."

अतः सीमिति द्वारा संस्तुति की गई कि इन्हें माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुपालन मे उत्तर प्रदेश आवंटित किया जाये।

3. भारत सरकार परामर्शी समिति की उपर्युक्त संस्तुति से सहमत है एवं मैडिकल बोर्ड की उपरोक्त अनुशंशा के उपरांत, श्री कैलाशचंद्र जोशी, सहायक बाइंडर का राज्य पुनरावंटन माननीय उच्च न्यायालय, उत्तरप्रदेश, के अनुपालन मे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश राज्य के लिये किया जाता है।

4. कार्मिक को इस निर्णय के बारे में सूचित किया जाए एवं तदनुसार उपर्युक्त आदेश पारित किया जए।

भवदीय

(अजीत कुमार)
अवर सचित, भारत सरकार

प्रतिलिपि प्रेषितः–

1. प्रमुख सचित, उ0प्र0 पुनर्गठन समन्वय विभाग, 46 बहुखण्डी भवन, सचिवालय, लखनउ।
2. सचिव, उत्तराखंड पुनर्गठन विभाग, सचिवालय, देहरादून।
3. श्री कैलाशचंद्र जोशी, सहायक बाइंडर (वर्तमान बाइंडर) ई- 2404 राजाजीपुरम लखनऊ यूपी।

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, लोक नायक भवन
Dept. of Personnel & Trg., L.N. Bhawan
प्राप्ति और निर्गम अनुभाग
Receipt & Issued Section
13 NOV 2014
जारी किया/ISSUED